

क्र. जे.पी.डी./अध्यक्ष डिस्कॉम्स /अधी.अभि.(आर.ई)/ अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. 1075 दि. 17-3-21

आदेश

विषय:-कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुनः चालु करने के संबंध में।

वर्तमान में कटे हुए कृषि कनेक्शन 15 साल की अवधि तक जोड़े जा सकते हैं। कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 17.2 में यह प्रावधान है कि "कृषि कनेक्शन कटने एवं कनेक्शन पुनः जुड़वाने के लिये दिये गये आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि अगर दो साल से अधिक एवं 15 साल तक है तो ऐसे किसी कनेक्शन को भी पुनः जोड़ा जा सकेगा। दो साल से अधिक समय से कटे हुए कनेक्शन उपभोक्ता विद्युत संबंध विच्छेद के समय जो बकाया राशि थी वह राशि व उस पर ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष छः माही चक्रवृद्धि दर से तथा री-कनेक्शन चार्जेज लेकर कनेक्शन चालू किया जा सकता है। यदि लाइन हटा ली गई हो तो रू0 1500/-प्रति हा. पा. 10 हा. पा. तक तथा इसके बाद रू. 750/-प्रति हा. पा. की दर से अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी"।

कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 17.2 में निहित प्रावधान को निम्नानुसार पुनः स्थापित किया जाता है।


"कृषि कनेक्शन कटने एवं कनेक्शन पुनः जुड़वाने के लिये दिये गये आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि अगर दो साल से अधिक एवं 20 साल तक है तो ऐसे किसी कनेक्शन को भी पुनः जोड़ा जा सकेगा। दो साल से अधिक समय से कटे हुए कनेक्शन उपभोक्ता विद्युत संबंध विच्छेद के समय जो बकाया राशि थी वह राशि व उस पर ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष छः माही चक्रवृद्धि दर से तथा री-कनेक्शन चार्जेज लेकर कनेक्शन चालू किया जा सकता है। यदि लाइन हटा ली गई हो तो रू. 1500/-प्रति हा. पा. 10 हा. पा. तक तथा इसके बाद रू 750/-प्रति हा. पा. की दर से अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी"।

उक्त आदेश तीनों विद्युत कम्पनियों पर लागू होंगे।


अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
3. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/भरतपुर/कोटा।
5. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (CA-HQ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम)अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
11. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
12. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
14. प्रावैधिक सहायक राज्यमंत्री उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
15. विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
17. निजी सचिव माननीय उर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
18. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।


17/3/2021
अति. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर